भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1779
27.07.2018 को उत्तर के लिए

जंगली हाथियों द्वारा हमला

1779. श्री नव कुमार सरनीया:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जंगली हाथियों ने उत्तर-पूर्वी राज्यों में रहने वाले लोगों के जीवन में अव्यवस्था उत्पन्न कर दी है क्योंकि उक्त हाथियों ने अधिकतर गांवों को तबाह कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई आवश्यक कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान असम में जंगली हाथियों द्वारा कितने घरों को तबाह किया गया है और कितने लोगों की मौतें हुई हैं;

(घ) क्या सरकार ने उन लोगों को कोई मुआवजा प्रदान किया है जिनके घर तबाह हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(डॉ. महेश शर्मा)

(क) पूर्वोत्तर के राज्यों के कुछ भागों में मानव हाथी संघर्ष की घटनाओं की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

(ख) मानव-हाथी संघर्ष सहित मानव वन्यजीवों के संघर्ष के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं।

(i) देश में हाथियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में 'हाथी परियोजना' के अधीन हाथी क्षेत्र वाले राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

(ii) हाथी वाले सभी राज्यों को, मंत्रालय द्वारा 06.10.2017 को जारी किए गए 'मानव हाथी संघर्ष के प्रबंधन हेतु दिशानिर्देशों' को लागू करने के निदेश दिये गये हैं।

(iii) मंत्रालय ने मानव वन्यजीव संघर्ष के संदर्भ में सभी राज्य सरकारों/सघ राज्यक्षेत्रों प्रशासनों के मुख्य वन्यजीव वार्डनों को 24 दिसंबर, 2014 और 1 जून, 2015 को दिशानिर्देश जारी किये हैं।

(iv) मंत्रालय ने पत्र सं. 14-2/2011 डब्ल्यूएल (पार्ट) दिनांक 09 फरवरी, 2018 के द्वारा वन्यजीव उत्पात के संबंध में अनुकंपा राशि की दरों के बढाये जाने को अधिसूचित किया है।

(v) मंत्रालय ने तदर्थ प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण (काम्पा) से वित्तीय सहायता लेकर राज्यों को 'संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में चारा तथा जल की वृद्धि' के लिए सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार की है, जिसका उद्देश्य शाकाहारी जंगली जानवरों के लिए घास, चारा और जल की वृद्धि करने के लिए प्रावधान करके इन क्षेत्रों में पर्यावास में सुधार करना है, ताकि वन्य पशुओं द्वारा की जाने वाली क्षति को रोका जा सके।

(vi) भारतीय वन्यजीव संस्थान ने, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और विश्व बैंक ग्रुप के साथ परामर्श करके 'रेखीय अवसंरचना के प्रभावों को कम करने हेतु पारि-हितैषी उपाय' शीर्षक से एक दस्तावेज प्रकाशित किया है ताकि रेखीय अवसंरचना की परियोजना एजेंसियों की, रेखीय अवसंरचना का डिजाइन इस ढंग से तैयार करने में मदद की जा सके जिससे संरक्षित क्षेत्रों तथा अन्य वन्यजीव क्षेत्रों में से गुजरने वाली इन रेखीय अवसंरचनाओं वाले क्षेत्रों में मानव पशु संघर्ष को कम किया जा सके।

(vii) फसल वाले खेतों में वन्य पशुओं के प्रवेश को रोकने के लिए कांटेदार तार वाली बाड़, सौर ऊर्जा से चालित विद्युत बाड़, कैक्टस का प्रयोग करते हुए जैव-बाड़, चारदीवारी इत्यादि जैसे भौतिक अवरोधकों का संनिर्माण।

(viii) मंत्रालय ने फसलों की क्षति तथा विनाश के लिए जिम्मेदार वन्य पशुओं जैसे- हाथी, जंगली सूअर, बंदर और नीलगाय की संख्या को नियन्त्रित करने के लिए निरापद गर्भ निरोध से संबंधित एक प्रायोगिक परियोजना को मंजूरी दी है।

(ix) मंत्रालय ने जीआइजेड के साथ सहयोग करके एक मानव वन्यजीव संघर्ष उपशमन परियोजना प्रारम्भ की है।

(x) हाथी पर्यावास को समृद्ध बनाने के लिए जल संसाधनों का सृजन, फलदार वृक्षों का रोपण, चरागाहों का विकास, आग से सुरक्षा इत्यादि जैसे कार्यों को किया जा रहा है, ताकि हाथियों को उनके पर्यावासों में ही बनाये रखा जा सके।

(xi) मानव पशु संघर्ष से बचने और मानव जीवन तथा हाथियों की क्षति या नुकसान को रोकने तथा स्थानीय लोगों को सावधान करने के लिए वन विभाग पशुओं के संचलन की खोज खबर रखने हेतु स्थानीय समुदायों के लोगों को नियुक्त कर रहा है।

(xii) हाथियों के उत्पात को न्यूनतम करने के लिए व्हाट्सएप, एसएमएस आधारित सावधानी प्रणाली, हाथियों की रेडियो कॉलरिंग इत्यादि जैसी नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है।

(ग) राज्य सरकार से एकत्रित की गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान असम में जंगली हाथियों द्वारा नष्ट किए गए मकानों तथा मारे गए व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	**मारे गए व्यक्ति**	**नष्ट किए गए मकान**
2015	149	435
2016	110	807
2017	72	967
कुल	**331**	**2209**

(घ) और (ड.) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार असम राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान जंगली हाथियों द्वारा नष्ट किये गये मकानों के लिए दिया गया मुआवजा नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	**दिये गये मुआवजे की राशि (लाख रूपयों में)**
2015-16	शून्य
2016-17	222.01
2017-18	116.631
कुल	**338.641**

*****